क्रम संख्या–146 (ग) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2016 ई0

भाद्रपद 24, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा अनुभाग–2

संख्या 854/XXVIII–2/01(38)2014टी0सी0–4

देहरादून, 15 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–128

राज्यपाल, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2015) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है; अर्थात्–

अध्याय – एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त, नाम और प्रारम्भ

1. 1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 2016" है।

2) यह गजट प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी–

1) "अधिनियम" से "उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 2015" अभिप्रेत है;

2) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

3) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है;
4) "मुख्यालय" से बोर्ड के देहरादून कार्यालय अभिप्रेत हैं;
5) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
6) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है, और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है;
7) "चिकित्सा सेवा" से राज्य के एलोपैथिक चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित पदों अभिप्रेत हैं, जिसमें चिकित्सा शिक्षा एलोपैथिक चिकित्सा के शिक्षण संस्थानों के पद भी सम्मिलित हैं;
8) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;
9) "समिति" से अध्यक्ष द्वारा एक या अधिक सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों का गठन अभिप्रेत है;
10) "उप समिति" से अध्यक्ष द्वारा एक या अधिक सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से गठित उप समिति अभिप्रेत है;
11) "चयन" से इस हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी भी विशेष सेवा संवर्ग हेतु साक्षात्कार अथवा परीक्षा जो मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र (प्रदेश के भीतर अथवा भारत के अन्य प्रदेश में भी) आयोजित किया जा सकेगा से या दोनों अभिप्रेत है;
12) "नियम" से किसी भी प्रवर्तन कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड के कार्यों को संचालित किये जाने हेतु बनाये गये नियम अभिप्रेत है;
13) "विनियम" "मार्ग दर्शक सिद्धान्त" से किसी भी प्रवर्तन कार्य हेतु बोर्ड अथवा अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से बनाये गये विनियम एवं मार्ग दर्शक सिद्धान्त अभिप्रेत है;
14) "अधियाचन" से सरकार या नियोक्ता द्वारा बोर्ड के किसी सेवा संवर्ग में चयन हेतु उपलब्ध कराये गये अधियाचन अभिप्रेत है;
15) "सेवा संवर्ग" से सरकार या नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई तत्समय लागू चयन हेतु वांछित संवर्गीय सेवा नियमावली अभिप्रेत है;
16) "आरक्षण" से तत्समय लागू सरकार द्वारा घोषित आरक्षण नीति अभिप्रेत है;
17) "शुल्क" से तत्समय बोर्ड द्वारा चयन हेतु निर्धारित शुल्क अभिप्रेत है;
18) "वित्त नियंत्रक" से शासन द्वारा बोर्ड मुख्यालय में नियुक्त वित्त नियंत्रक अभिप्रेत है;
19) "परीक्षा नियंत्रक" से बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक अभिप्रेत है;
20) "विधि परामर्शी" से बोर्ड में नियुक्त विधि परामर्शी से अभिप्रेत होगा;
21) "परीक्षक" से बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिये नियुक्त विशेषज्ञ अभिप्रेत हैं और प्रधान परीक्षक, मुख्य परीक्षक, संयुक्त परीक्षक तथा सह परीक्षक भी इसमें सम्मिलित होंगे;
22) "परीक्षा" से बोर्ड द्वारा संचालित लिखित परीक्षाओं, साक्षात्कार और वॉक इन इन्टरव्यू अभिप्रेत है;
23) "वरिष्ठ सदस्य" से सरकार द्वारा नियुक्त, नियुक्ति, आदेश में प्रथम स्थान पर या एक ही दिन की नियुक्ति पर जन्म तिथि के आधार पर आयु में अधिक सदस्य वरिष्ठ सदस्य अभिप्रेत है;
24) "वैबसाइट" से उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित वैबसाइट अभिप्रेत है;
25) "प्रिसाइडिंग मेम्बर" से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठक संचालित करने वाले सदस्य अभिप्रेत है;

26) नियमों में प्रयुक्त 'शब्द' एवम् 'वाक्यांश' जिन्हें नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय – दो

3. 1) चयंन बोर्ड में सदस्यों का चयन, यदि सदस्य पूर्व से पदस्थापित न हो तो, अध्यक्ष सरकार को (सदस्यों की कार्य सहमति प्राप्त कर) एक पैनल रिक्तियों को पूर्ण किये जाने हेतु प्रेषित करेगा। सरकार द्वारा सदस्यों को नामित कर अधिसूचित किया जायेगा। इस प्रकार के सदस्यों की संख्या 02 से अनधिक होगी।

2) अध्यक्ष, प्रक्रिया एवम संचालन विनियम में विनिर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन मार्ग–दर्शक सिद्धान्त के आधार पर प्रदत्त प्रक्रियानुसार करेगा या करवायेगा। ये बोर्ड के काम कहलायेंगे।

3) अध्यक्ष यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो वह किसी विशेष मामले या प्रकरण को निपटाने के लिये बोर्ड के समक्ष रखे जाने का निर्देश दे सकेगा। बोर्ड तद्नुसार निस्तारण करेगा।

4) अध्यक्ष ऐसे प्रकरण के सम्पादन के लिये जिसे पत्रावली के परिचालन द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है और ऐसे अन्य मदों के लिये जैसा बोर्ड निश्चय करे, बैठक बुलाएगा।

5) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सदस्य नामित किसी आवश्यक मामले में जिसमें तुरन्त कार्यवाही की जानी है अपेक्षित कार्यवाही कर सकेगा तथा ऐसी कार्यवाही के अनुसमर्थन में आगामी बैठक में बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

बोर्ड की बैठक आदि

4. 1) बोर्ड की बैठक में किये गये सभी विनिश्चयों को यथा सम्भव बैठक में उपस्थित सदस्य के हस्ताक्षराधीन सुसंगत पत्रावलियों में लेखाबद्ध किया जायेगा। गणपूर्ति की पूर्णता में बैठक के विनिश्चय में सदस्यों की अनुपस्थिति विनिश्चय की अधिमान्यता में बाधा नहीं होगी।

2) अध्यक्ष किसी बैठक में बोर्ड की सहायता हेतु सदस्य/संस्था को आमंत्रित कर सकेगा। उसकी सलाह बैठक के विनिश्चियों में लिपिबद्ध कर क्रियान्वयन हेतु लेखबद्ध कर सकेगा।

3) बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों को तथा अन्य चयन बोर्ड के अधिकारी कार्मिकों को अनुमन्य वेतन भत्ते अन्य भुगतान, मानदेय, अन्य सुविधाओं आदि का निर्णय शासन द्वारा शासनादेश जारी कर किया जायेगा।

4) बोर्ड के पदेन सदस्य अथवा उनके द्वारा नामित अधीनस्थ वरिष्ठ प्रतिनिधि बैठक में सदस्य के रूप में प्रतिभाग करेंगे। उनको साधारण सदस्यों की तरह मत देने का अधिकार होगा।

5) बोर्ड द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य, को उन प्रकरणों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा, जिन प्रकरणों पर राय हेतु आमंत्रित किये जा सकेंगे।

6) समय–समय पर आवश्यक कार्य क्रियान्वयन हेतु जो समिति या उप समिति अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के तत्वाधान में तथा अन्यथा बनायी जायेगी, वो नियमों के अन्तर्गत मान्य होगी।

7) किसी बैठक में बोर्ड का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान द्वारा किया जायेगा और मतों के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। कोई सदस्य अपनी विसम्मति, यदि कोई हो, उसको लिखित कारण सहित व्यक्त कर सकता है, किन्तु वह इस प्रकार की विसम्मति सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को उजागर करने से वंचित होगा।

अध्याय – तीन

सचिव

5. 1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड का एक सचिव होगा। वह कार्यालध्यक्ष होगा तथा अतिरिक्त अधिनियम तथा विनियमों के अन्तर्गत दिये गये कार्यो के अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट कार्य करेगा।

2) सचिव के अतिरिक्त एक और राजकीय अधिकारी सह सचिव के रूप में अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बोर्ड में शासकीय प्रस्तावित अधिकारी अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होगा, जो बोर्ड के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव के अतिरिक्त अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित कर सकेगा।

3) बोर्ड का सचिव बोर्ड के समस्त कार्यालय, कार्मिकों का नियंत्रण अधिकारी होगा।

4) सचिव कार्यालय के समस्त कार्मियों (श्रेणी 'ग' एवं, 'घ') का नियुक्ति अधिकारी होगा तथा उसे कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका में उनकी उपस्थिति दर्ज करने या कराने का अधिकार होगा।

5) सचिव अध्यक्ष की सहमति से कार्यालय के कार्य सुविधा हेतु कार्मिकों की संख्या बढ़ा या घटा सकेगा। उनके कार्य बोर्ड के कार्य सुविधा हेतु बदल भी सकेगा।

6) बोर्ड में कार्मिकों की नियुक्ति आदि उत्तराखण्ड शासन के तत्समय प्रभावी नीति अनुसार सचिव द्वारा की जायेगी।

7) सचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा वित्त नियंत्रक से समन्वय स्थापित कर बोर्ड के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जाना सुनिश्चित करेगा।

8) दावों की संवीक्षा सचिव, वित्त नियंत्रक की सहायता प्राप्त कर सभी दावों का भुगतान करेंगे।

9) साज–सज्जा, आवश्यक सामग्री उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित क्रय नीति के अनुसार की जायेगी।

10) सचिव द्वारा बोर्ड के नियुक्त विधि परामर्शी से बोर्ड के किसी कार्य अथवा वाद आदि के सम्बन्ध में सलाह लिया जायेगा एवम् परामर्श हेतु विहित प्रक्रियानुसार भुगतान आदि किये जायेगें।

11) सचिव, बोर्ड की बैठक संबंधी एवं अन्य गोपनीय सभी पत्रावलियां अभिलेख आदि अपनी अभिरक्षा में रखेगा। यदि वह अवकाश आदि पर होगा तो उनका दायित्व सह सचिव को हस्तान्तरित किया जायेगा।

12) सचिव, बोर्ड का आहरण–वितरण अधिकारी होगा।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

6. 1) साधारणतया उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा सम्बंधी शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम यदि अन्यथा कभी अध्यक्ष द्वारा विहित न किया जाये, वहीं होंगे जो उत्तराखण्ड शासन के अधीन उस श्रेणी के कर्मी तत्समय अनुमन्य होगें। इसमें शासकीय वेतन, भत्ते आदि वो ही देय होंगे जो शासन द्वारा बोर्ड कर्मियों हेतु अधिसूचित कर निर्धारित किये जायेंगे।

2) सचिव, कार्मिकों की भर्ती से पहले उनकी नियुक्ति से पूर्व रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर केवल बोर्ड का कर्मचारी होगा, एवं बोर्ड की गोपनीयता बनाये रखने के आशय का शपथ पत्र लेकर कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में लेखबद्ध करेगा।

3) बोर्ड का कोई भी पूर्णकालिक अधिकारी व कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना किसी अन्य स्थान पर कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार की सूचना अथवा शिकायत के सिद्ध होने पर सम्बन्धित पर तत्समय सरकार द्वारा जारी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

वित्त नियंत्रक

7. 1) चयन बोर्ड का एक वित्त नियंत्रक होगा, जिसे शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

2) शासकीय आदेशानुसार सरकार द्वारा नियुक्ति वित्त विभाग का अधिकारी बोर्ड का वित्त नियंत्रक होगा एवम् बोर्ड में उसके कार्यकाल की नियुक्ति बोर्ड अध्यक्ष के अधीन समझी जायेगी।

3) वित्त नियंत्रक बोर्ड के सभी लेखा सम्बन्धी विषयों का नियंत्रक होगा।

4) वित्त नियंत्रक, सचिव की सहभागिता में बोर्ड की आय–व्यय का लेखा जोखा रखेगा।

5) वित्त नियंत्रक, बोर्ड अध्यक्ष द्वारा गठित समिति या सचिव की सहभागिता में वार्षिक बजट, अनुपूरक बजट, लेखा जोखा की सम्प्रेक्षा, देयता आदि की सन्निरीक्षा आदि दायित्वों का निर्वाहन करेगा।

6) वित्त नियंत्रक बोर्ड मुख्यालय के निकट किसी राष्ट्रीयकृत बैक शाखा, देहरादून में बोर्ड के नाम से एक खाता खोलेगा, जिसमें बोर्ड की किसी स्रोत से मिलने वाली धनराशि यथा आवेदन पत्र बिक्री, शुल्क एवम जुमानें से प्राप्त रकम जमा की जायेगी। धनराशि के आहरण के लिए जैसा बोर्ड द्वारा समय–समय पर विहित किया जायेगा, वैसा ही मार्ग दर्शक सिद्धान्त माना जायेगा।

7) वित्त नियंत्रक प्रत्येक वर्ष बोर्ड का आय–व्यय का विवरण तैयार कर बोर्ड के समक्ष उन विषयों को प्रस्तुत करेगा जिन पर बोर्ड द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

8) वित्त नियंत्रक अध्यक्ष द्वारा नामित समिति के निर्देशन में वार्षिक लेखा रिर्पोट तैयार करेगा एवम् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, यथा शीघ्र प्रदेश स्थित महालेखाकार कार्यालय से लेखा परीक्षा करायेगा।

9) (क) वित्त नियंत्रक, सचिव की सहभागिता से प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय से आगामी वर्ष के बोर्ड के आय तथा व्यय के अनुमानित बजट तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) वित्त नियंत्रक ऐसे अनुमानों में बोर्ड के उद्देश्यों एवम् देयता की प्रभावी ढंग से पूर्ति हेतु प्राविधान करवायेगा। अनुमानित आय–व्यय के खाते में सामान्यतः प्रत्याशित समस्त आय के अतिरिक्त, आवेदन पत्र, परीक्षा साक्षात्कार शुल्क तथा अन्य स्रोत से होने वाली आय को शामिल किया जायेगा।

(ग) बोर्ड आय–व्यय के अनुमानो पर विचार कर यदि आवश्यक समझे तो संशोधन कर अग्रसारित किये जाने को स्वीकृति देगी।

10) बोर्ड यदि आवश्यक समझे तो जिस वर्ष के लिये आय–व्यय का अनुमान स्वीकृत है, उसी वर्ष के दौरान किसी भी समय अनुपूरक अनुमान तैयार करवाकर प्रस्तुत करवा सकती है। प्रत्येक ऐसे अनुपूरक अनुमान पर उसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी, जैसा वो वार्षिक मूल अनुमान हो। बोर्ड द्वारा प्राविधानित से अधिक व्यय की कार्योत्तर शासन से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

11) लेखों एवम् अन्य पंजिकाएं कार्यालय में बोर्ड द्वारा तैयार किये गये विनियम के अनुसार होगा।

अध्याय – चार

विधि परामर्शी

8. 1) बोर्ड का विधि परामर्शी के पद पर कार्य हेतु बोर्ड द्वारा किसी वरिष्ठ अधिवक्ता, जिसके पास विधि की डिग्री, से अतिरिक्त 20 वर्ष के अधिवक्ता के रुप में शासन या न्यायालय, में कार्य का अनुभव हो, अंशकालिक रूप में विधि परामर्शी तैनात कर सकेगा।

2) विधि परामर्शी बोर्ड के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में पैरवी करेगा या करवायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

9. 1) एक परीक्षा नियंत्रक होगा, जो शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

2) परीक्षा नियंत्रक बोर्ड की परिधि के अन्दर आने वाले सीधी भर्ती व सभी सेवाओं के ऐसे पदों, जिनमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व वॉक इन इन्टरव्यू सम्मिलित है, की गोपनीयता को बनाए रखते हुये सुनिश्चित करना और ऐसी परिक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रतिबन्ध सचिव के परामर्श से और ऐसे निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित कराना जो बोर्ड द्वारा इस निमित जारी किये जाय।

3) जब तक अन्यथा विहित न हो, ऐसी परीक्षाओं/साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त संविदायें लिखित रूप से होगी और समस्त दस्तावेज परीक्षा सम्बन्धित अभिलेख बोर्ड की ओर से परीक्षा नियंत्रक द्वारा अभिप्रमाणित किये जायेंगे। ऐसे समस्त अभिलेखों परीक्षा नियंत्रक के व्यैक्तिक अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

4) प्रत्येक सेवा संवर्ग के नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा (लिखित/साक्षात्कार) प्रदेश में अथवा अन्यत्र एक निर्धारित समय सारिणी, जो मार्ग दर्शक सिद्धान्त सूची (ग) के अनुसार तैयार कर, सचिव के सहभागिता से परीक्षा नियंत्रक द्वारा बोर्ड से बैठक में अनुमोदित कराया जाना, परीक्षा संबंधी किसी कार्यवाही के पूर्व आवश्यक है। किन्ही अपरिहार्य कारणों के चलते यदि समय सारिणी में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती है, तो अनुमोदन बोर्ड से कराया जाना आवश्यक होगा।

5) ऐसी परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन के लिये समस्त प्रबंध परीक्षा नियंत्रक द्वारा सचिव के परामर्श से और ऐसे निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त जारी किये जाये।

6) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची प्रार्थी के शैक्षिक अर्हताओं व परीक्षा (लिखित/साक्षात्कार) के प्राप्तांक के योग से प्राप्त श्रेष्ठता के आधार पर तैयार कर अन्तिम रुप से शासन को प्रेषित किये जाने हेतु बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। उपरोक्त चयन समिति के संन्दर्भ हेतु शैक्षिक अर्हताओं के व परीक्षा (लिखित/मौखिक) के प्राप्तांक निर्धारण का मानक व जो बोर्ड द्वारा तत्समय विहित किया जाएगा।

7) परीक्षाओं के समस्त विषय के लिए परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह व्यक्तियों की सूची तैयार कर, उसे बोर्ड के अनुमोदित कराना एवं ऐसी सूची को प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित कराना। निर्दिष्ट परीक्षकों की सूची संलग्न (घ) में प्रदत्त मार्ग दर्शक सिद्धान्त के अन्दर तैयार की जायेगी।

8) परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से परीक्षकों, साक्षात्कार लेने वाले व मूल्यांककों की नियुक्ति करेगा।

9) उपरोक्त नियुक्तियों में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा न नियुक्त कर दिया जाये जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही विचाराधीन हो।

10) परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप मार्ग दर्शक सिद्धान्त संलग्नक 'ड' के अनुरूप होगा। शुल्क के सम्बंध में अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की उपधारा के अन्तर्गत बोर्ड के द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

11) मा0 अध्यक्ष/सचिव द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

अध्याय – पाँच
प्रकीर्ण

कठिनाईयों का निराकरण

10. 1) बोर्ड अपनी कार्य प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए विनियम व क्रियान्वयन हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त बना सकेगा जो अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न होगा।

2) यदि बोर्ड लोक हित में उचित समझे तो वह यह निर्देश दे सकता है कि उक्त नियम/विनियम या उसका कोई भाग प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

विधिमान्यकरण

11. 1. बोर्ड से किया गया कोई परामर्श या उसके द्वारा दी गयी कोई सलाह या उसके द्वारा आयोजित परीक्षा या साक्षात्कारों का परिणाम या साक्षात्कार में बोर्ड की कार्यवाहियॉ केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी कि :

1) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति में या चयन समिति के गठन में कोई त्रुटि, या,

2) बोर्ड या चयन समिति या किसी समिति में कोई रिक्ती है, या

3) कोई त्रुटि या अनियमित्ता है जो बोर्ड, समिति या साक्षात्कार समिति के समक्ष किसी कार्यवाही के सार को प्रभावित न करती हो।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

12. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशायित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

कठिनाईयों का निराकरण

13. इन नियमों विनियमों मार्गदर्शक सिद्धान्त के लागू रहते यदि बोर्ड के कृत्यों के क्रियान्वय में किसी प्रकार की कठिनाई या बाधा उत्पन्न होती है और बोर्ड को अपने नियमों, विनियमों व मार्गदर्शक सिद्धान्त में परिवर्तन किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है, तो बोर्ड शासन से परिवर्तित नियमों आदि का विधिक परीक्षण व अनुमोदन प्राप्त कर नियम विनियम व मार्ग दर्शक सिद्धान्त को परिवर्तन कर कार्य करने को अधिकृत होगी।

अनुसूची "क"

कार्य का विनिर्देश (1)	आवंटन (2)
1. सामान्य	
(1) सामान्य प्रशासन और समसत वित्तीय विषय	अध्यक्ष, किन्तु विक्रेन्द्रीत शासकीय कार्य विभिन्न विनियम के अन्तर्गत मार्ग दर्शक सिद्धान्त में दशार्ये अधिकारियों के माध्मय में क्रियान्वन
(2) बोर्ड के कार्य का समन्वय जिसके अन्तर्गत बोर्ड की बैठकों को बुलाना भी है।	अध्यक्ष के आदेश पर सचिव द्वारा.
(3) सदस्यों के दौरे के कार्यक्रम का पूर्वनुमोदन, छुट्टी की स्वीकृति और मुख्यालय छोड़ने की अनुज्ञा देना।	अध्यक्ष
2. वेतन भुगतान, आहरण वितरण आदि	सचिव की सहभागिता में वित्त नियंत्रक, जैसा नियमों में स्पष्ट है,
3. (1) परीक्षा/साक्षात्कार का चयन	अध्यक्ष/सदस्य/परीक्षा नियंत्रक जैसा मार्ग दर्शक सिद्धान्त कार्य सम्पादन प्रक्रिया स्पष्ट करता हो,
(2) ऐसी अपीलें जो अभ्यार्थियों की जिनके आवेदन आदि अस्वीकृत कर दिये गये हो।	अध्यक्ष/नामित सदस्य जैसा मार्ग दर्शक सिद्धान्त प्रक्रिया स्पष्ट करता हो,
(3) अभ्यार्थियों पर आरोपित शास्ति संदर्भ	अध्यक्ष/सचिव/परीक्षा नियंत्रक मार्ग दर्शक सिद्धान्त अनुसार,
4. साक्षात्कार (1) विशेषज्ञों का चयन	अध्यक्ष द्वारा नामित एक या अधिक सदस्य बोर्ड द्वारा
5. विभिन्न मामलें – (1) प्रशासनिक सुधार के विषय	अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य/समिति/उपसमिति
(2) अन्य विषय	—तदैव—

आज्ञा से,

ओम प्रकाश
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 चिकित्सा/504–2016–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क0 सं0	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक
1	उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0/दन्त संवर्ग के चिकित्सको को पी0जी0 अध्ययन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–50/XXVIII-1/20–2(01)2014, दिनांक 18.01.2021
2	RTPCR/Home Collection आर0टी0पी0आर0 टेस्ट की सेवाओं की दरों के पुननिर्धारण के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–470(1)/XXVIII-1/21–01(06) 2020 टी0 सी0–2, दिनांक 18.05.2021
3	उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 के सम्बन्ध में।	अधिसूचना संख्या–65/XXVIII-2/01(343)2005 दिनांक 30.01.2014
4	दिनांक 01.01.2015 के बाद मौलिक रूप से नियुक्ति प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारी को विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–475/XXVIII-2/15–01(120)2008 दिनांक 25.05.2015
5	मौलिक रूप से नियुक्त प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–654/XXVIII-2/2016–01(120)2008 दिनांक 14.07.2016
6	उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0/दन्त संवर्ग के चिकित्सकों को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा अध्ययन हेतु नीति–निर्धारण के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–604/XXVIII-2–2017/02(01)2014 दिनांक 19.05.2017
7	उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021 के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–458/XXVIII-1/21–01(06)2020 दिनांक 27.04.2021
8	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत 21 श्रेणियों में परिभाषित दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु अधिनियम के अध्याय 'X' के प्राविधानों (धारा–57–59) के अन्तर्गत प्रमाणीकरण अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–1133/XXVIII-1/2019–01(19)2018 दिनांक 16.08.2019
9	उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं टेस्ट की संख्या बढाये जाने के सम्बन्ध में। रैपिड एंटीजन टैस्टिग हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में।	ई–शासनादेश संख्या–3591/2021 दिनांक 26.10.2021
10	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 2015 के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–854/XXVIII-2/01(38)2014टी.सी.–4 दिनांक 15.09.2016

क0 सं0	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक
11	उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न चिकित्सा इकाईयों को आई0पी0एच0एस0 (Indian Public Health Standards) के मानकानुसार स्थापित/चिन्हीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–1130/XXVIII-1/01(15)2019 दिनांक 12.11.2021
12	उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न चिकित्सा इकाईयों को IPHS (Indian Public Health Standards) के मानकानुसार स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–1443/XXVIII-2/01(15)2019 दिनांक 17.10.2019
13	प्रदेश में स्थापित चिकित्सा इकाईयों में संचालित आई0सी0यू0 में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं अन्य स्टॉफ के पद सृजन के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–1205(1)/XXVIII-1/21–01(06)2020 टी0सी0–1, दिनांक 02.11.2021
14	उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–233/XXVIII-2/04(81)2007 दिनांक 22.03.2013

(1)

18/1/21

संख्याः 50 /XXVIII-1/20–02(01)2014

प्रेषक

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्र0),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांकः 18 जनवरी, 2021

विषयः– उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0/दन्त संवर्ग के चिकित्सकों को पी0जी0 अध्ययन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–2प/रा0पु0/03/2020/9191, दिनांक 29 जून, 2020 के क्रम में उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0/दन्त संवर्ग के चिकित्सकों को पी0जी0 अध्ययन हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या–604, दिनांक 19.05.2017 द्वारा निर्गत अध्ययन नीति के स्थान पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पी0जी0 अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) मौलिक रूप से नियुक्त पी.एम.एच.एस/दंत संवर्ग के चयनित चिकित्सकों को ही मात्र क्लीनिकल कोर्सेस हेतु (फिजियोलॉजी,बॉयोकैमिस्ट्री,फॉर्माकोलॉजी, तथा एनाटॉमी को छोडकर) अध्ययन अवकाश पूरे सेवाकाल में केवल एक ही बार अनुमन्य होगा। चूंकि पी0जी0 अध्ययन के कतिपय विषयों यथा फिजियोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, फार्माकॉलोजी तथा एनाटॉमी पाठ्यक्रम का उपयोग सामान्य रूप से चिकित्सकीय कार्यों हेतु न होकर अध्ययनपरक है, जिससे उक्त विषयों में पी0जी0 उत्तीर्ण चिकित्सकों की उपादेयता विभाग में शून्यप्राय है। अतः उत्तराखण्ड राज्य में पी0एम0एच0एस0/दन्त संवर्ग के चिकित्सकों को फिजियोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, फार्माकॉलोजी तथा एनाटॉमी पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य केवल चिकित्सकीय कार्य के विषयों हेतु (क्लीनिकल कोर्सेस में) ही पी.जी. अध्ययन हेतु 03 वर्ष के अध्ययन अवकाश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(2) पी.जी. अध्ययन हेतु जाने वाले पी.एम.एच.एस./दन्त संवर्ग के चिकित्सकों को वर्तमान में अनुमन्य अध्ययन अवकाश सम्बंधी संगत नियम के अनुसार दिये जाने वाला वेतन (अर्धवेतन) अथवा सम्बन्धित संस्थान द्वारा अनुमन्य स्टाईपेण्ड, जो भी सम्बंधित चिकित्सक लेना चाहे, देय होगा। इस हेतु सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा संस्थान से स्टाइपेण्ड लेने अथवा न लेने के सम्बंध में प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। उक्त व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2020–21 से लागू होगी। वर्तमान डिप्लोमा/पी0जी0 कोर्स कर रहे चयनित चिकित्सकों को भी उक्त लाभ इसी शैक्षिक सत्र में तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा।

(3) किसी भी चिकित्सक को प्रथम पी.जी. कोर्स पूर्ण करने के पश्चात् विभाग में योगदान करने की तिथि से 05 वर्ष के पश्चात् ही किसी अन्य विषय में द्वितीय पी.जी. कोर्स में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी जो अवैतनिक होगी।

(4) ऐसे पी.एम.एच.एस./दन्त संवर्ग के चयनित चिकित्सक जिन्हें पी.जी. कोर्स करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी हो उन्हें पी.जी. कोर्स हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व पी.जी. कोर्स समाप्ति के उपरान्त अनिवार्य रूप से 05 वर्ष तक राजकीय सेवा किये जाने सम्बन्धी विधिक रूप से मान्य पंजीकृत शपथ पत्र/अंडरटेकिंग देनी होगी।

(5) पी.जी. कोर्स हेतु चयनित चिकित्सक द्वारा अपनी कार्यमुक्ति के लिए आवेदन पत्र उचित माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रस्तुत किये जायेंगे। पी.जी. कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थान/मेडिकल कॉलेज द्वारा चयनित चिकित्सक की पी.जी. डिग्री की मूल प्रति महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बंधित चिकित्सक द्वारा अपनी एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 डिग्री के मूल प्रमाण पत्र भी महानिदेशक को विभाग में योगदान के समय उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्र अनुबन्ध की समय सीमा समाप्त होने अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार धनराशि मय ब्याज सहित जमा किये जाने के उपरान्त निर्गत की जायेगी। उक्त शर्त को अनुबन्ध पत्र में भी सम्मिलित किया जाय।

(6) अनुबन्ध का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित चिकित्सक से ₹50.00 लाख अथवा पी.जी. कोर्स के मध्य किया गया भुगतान तथा 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि में से अवशेष अवधि के वेतन, जो भी अधिक हो, की एकमुश्त वसूली एक माह के अन्दर की जायेगी। निर्धारित समयावधि में उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की वसूली की जायेगी।

(7) पी.जी. कोर्स करने के पश्चात् अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने और तीन माह तक राज्य सरकार की सेवा से अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी की आख्या पर महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा परिषद अथवा सम्बन्धित परिषद से उक्त चिकित्सक का पंजीकरण निरस्त किये जाने की संस्तुति की जायेगी।

(8) ऐसे चयनित चिकित्सक जिन्हें पी.जी. अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी उनके द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। इस प्रकिया हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

(9) ऐसे चिकित्सक, जिन्हें पी.जी. कोर्स में प्रवेश हेतु अनुमति दी गयी है, यदि उनके द्वारा पी.जी. कोर्स पूर्ण नहीं किया जाता है या वे पी.जी. कोर्स पूर्ण करने में किसी कारण से असमर्थ रहते हैं तो पी.जी. कोर्स अवधि में उन्हें दी गयी धनराशि का समायोजन, उन्हें देय उपार्जित अवकाशों में किया जायेगा। यदि उपार्जित अवकाश देय न हों, तो उक्त धनराशि की वसूली आगामी माहों में मिलने वाले वेतन/भत्तों से की जायेगी और राजकीय सेवा से कार्यमुक्ति और राजकीय सेवा में योगदान की

तिथि के मध्य की अवधि अवैतनिक अवकाश के रूप में स्वीकृत की जायेगी। उक्त अवधि सेवा में वेतन वृद्धि, डी.ए.सी.पी. हेतु गणना में नहीं ली जायेगी। साथ ही उक्त चिकित्सक को अगले 05 वर्ष तक पी.जी. कोर्स हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। उक्त अवधि पी.जी. कोर्स छोड़ने के पश्चात् राजकीय सेवा में योगदान देने की तिथि से गणना में ली जायेगी।

(10) बीमारी अथवा अशक्तता के कारण यदि कोई राजकीय चिकित्सक पी.जी. कोर्स पूर्ण नहीं करता है, तो उस पर पैनाल्टी की उक्त शर्ते लागू नहीं होंगी बशर्ते राज्य का मेडिकल बोर्ड सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्रों से संतुष्ट हो।

(11) अध्ययन अवकाश की अवधि वार्षिक वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, डी.ए.सी.पी. हेतु गणना में ली जायेगी लेकिन उक्त का लाभ पी.जी. कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय सेवा में योगदान करने पर ही अनुमन्य होगा।

(12) अध्ययन अवकाश की अवधि में उपार्जित अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।

(13) पी.जी. अध्ययन हेतु अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सम्बन्धित संस्थान में जमा करने की तिथि से 1 माह पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) पी.जी. कोर्स हेतु अध्ययन अवकाश 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक ही अनुमन्य होगा।

(15) पी.जी. कोर्स हेतु ऐसे सेवारत चिकित्सकों को ही अनापत्ति प्रदान की जायेगी, जिन्हें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि अथवा जिनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही गतिमान न हो।

(16) सेवारत् चिकित्सा अधिकारी के अध्ययन अवधि में कार्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने अथवा कार्य बहिष्कार पर रहने पर अर्धवेतन/स्टाइपेण्ड का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(17) पी.जी. कोर्स हेतु अध्ययन अवकाश दूरस्थ शिक्षा मोड हेतु अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

(18) राजकीय/निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश शुल्क यथा फीस, हास्टल चार्ज आदि का भुगतान चयनित चिकित्सक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(19) पी.एम.एच.एस./दन्त संवर्ग हेतु पूर्व में अध्ययन अवकाश हेतु की गयी व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेंगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–45/XXVII(7)/2021, दिनांक 08 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्र0)।

संख्याः 50 /XXVIII-1/20–02(01)2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/ नैनीताल।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्राचार्य, समस्त राजकीय/निजी मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–3 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
8. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2,3,4,5 एवं 6 उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
उप सचिव

(2)

संख्याः– /XXVIII–1/21–01(06)/2020 टी0सी02

प्रेषक,

डा0पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 08 मई, 2021

विषयः RTPCR/Home Collection आर0टी0पी0आर0 टेस्ट की सेवाओं की दरों के पुनर्निधारण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–पी0ए0–डी0जी0एम0एच0/2021/317 दिनांक 06 मई, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के शासनादेश संख्या–87/XXVIII–1/21–01(06)/2020, दिनांक 20,जनवरी, 2021 जिसके द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0पी0सी0आर0 जॉच हेतु क्रमशः रू0 400/– एवं रू0 500/– दरें निर्धारित की गई है; को अतिक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निजी क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच हेतु अधिकतम दर निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच हेतु अधिकतम धनराशि	
निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड–19 की जांच कराने पर दर	रू0 700/– (सात सौ रूपये मात्र) जी0एस0टी0सहित।
निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड सम्भावित व्यक्तियों के निवास स्थल जाकर स्वयं आर0टी0पी0सी0आर0 सैम्पल एकत्र कर जांच हेतु लिये जाने की दर (Home Collection)	रू0 700+रू0 200= रू0 900/– (नौ सौ रूपये मात्र) जी0एस0टी0सहित।
राज्य सरकार द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सरकारी चिकित्सालय से सैम्पल प्रेषित कराए जाने पर दर	रू0 400/–(चार सौ रूपये मात्र)जी0एस0टी0सहित।

2– निजी प्रयोगशालाओं को सभी रिपोर्ट सी0टी0 वैल्यू के अंकन के साथ उपलब्ध करानी होगी। गुणवत्ता आडिट हेतु मांगे जाने पर नमूनों को चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल प्रयोगशालाओं हेतु उपलब्ध कराना होगा। परीक्षण के पश्चात् आई0सी0एम0आर0 के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

3– निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त जांच हेतु उक्त निर्धारित दरों से अधिक धनराशि लिया जाना एवं अन्य उल्लिखित प्राविधानों का पालन न करना महामारी अधिनियम 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा। उक्त के अतिरिक्त निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड–19 के संदर्भ में भारत सरकार/राज्य सरकार/आई0सी0एम0आर0 द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्याः 476 **(1)/XXVIII–1/21–01(06)2020 टी0सी02, तददिनांक।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव,मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौडी।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक,चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।